न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः /2021

प्रार्थीगणः–

1. उतमाराम पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत
2. गुमानाराम पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत
3. चन्दनसिह पुत्र सावलाराम जाति पुरोहीत
4. चम्पादेवी पत्नी सावलाराम जाति पुरोहीत
5. डुगंरराम पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत
6. नरपतराम पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत
7. पहाडसिह पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत
8. पानीदेवी पत्नी पदमाराम जाति पुरोहीत
9. पारसराम पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत
10. भंवरलाल पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत
11. महेन्द्रसिह पुत्र पदमाराम जाति पुरोहीत निवासीगण सरीयादेवी नगर तहसील समदडी जिला बाडमेर राज

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, सिवाना।
2. तगाराम पुत्र जोगाराम जाति नाई निवासी कुण्डल
3. हडमानाराम पुत्र जोगाराम जाति नाई निवासी कुण्डल
4. पपाराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल निवासी इटवाया
5. मदनसिह पुत्र खीमसिह जाति राजपुत निवासी कुण्डल
6. शैतानसिह पुत्र खीमसिह जाति राजपुत निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:17 IST
Reason: Self Attested

उपस्थितः–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

आदेश

दिनांक :–08.04.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम चौसला आधार सवंत् 2071 –2074 सरहद मौजा सरीयादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 421 रकबा 6.3374 हैक्टेयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 421 रकबा 6.3374 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक / 2022 / 707 दिनांक :- 22.04.22

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

उतमाराम वगैरह **तहसीलदार सिवाना वगैरह**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं 74 / 21 दिनांक :– 08.04.2022

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 421 रकबा 6.3374 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भूमि का नाप पैमाईश कर उक्त खसरे के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500/–प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना

दिनांक :- 22.04.22

क्रमांक: वाचक / 2022 / 708 -711

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी कुण्डल को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री प्रार्थीगण वगैराह

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata
Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना